

08.08.2023:—यह पत्रावली आज वादी अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सिहाग के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को पेशी लिया गया। अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सिहाग द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण का पंचायत के मौजूज व्यक्तियों द्वारा आपस में राजीनाम हो चुका है। इसी कारण पत्रावली आज ही तारीख पेशी में ली जाकर इसी स्तर पर खारिज कर दाखिल दफतर किया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना-पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अतः उक्त वादपत्र वादी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हों

Wajjo